गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण CDSCO ने 53 दवाओं को किया चिह्नित

[स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स](#)

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने पैरासिटामोल और पैन D सहित 53 दवाओं को **'गुणवत्ता अनुरूप मानक का अभाव'** के रूप में चिह्नित किया है, जिससे इनके उपभोग के बारे में गंभीर सुरक्षा चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

- CDSCO ने दो सूचियाँ जारी की हैं एक में **48 दवाएँ गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहीं** तथा दूसरी में **5 दवाओं को "गुणवत्ता अनुरूप मानक का अभाव" (NSQ अलर्ट) की श्रेणी में रखा गया है। यह सूची** राज्य औषधि अधिकारियों द्वारा लिये गए यादृच्छिक मासिक नमूने पर आधारित है।
- CDSCO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत भारत सरकार को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने वाला **केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।**
    - CDSCO के प्रमुख कार्यों में दवा आयात पर नियामक नियंत्रण की देखरेख**, नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी देना** तथा केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कुछ लाइसेंस जारी करना शामिल है।

अधिक पढ़ें: भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cdsco-flags-53-drugs-for-quality-issues